CLASS 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट:

डिजिटल सिग्नेचर एक mathematical technic है, जिसका द्वारा किसी भी डिजिटल दस्तावेज Electronic Message या Software के सत्यता की पुष्टि की जाती है .

जिस तरह से आप अपने जरुरी कार्यों के लिए Sign/हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते है, जो एकतरह से उस दस्तावेज या कार्य के प्रति आपकी सहमति को दर्ज कराता है, और साथ ही इससे यह भी पुष्टि हो जाती है, की यह Sign/हस्ताक्षर आपके ही है.

वही अगर आपको अपने किसी इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज या किसी प्रकार के मैसेज में अपनी(Identity यानि पहचान और सहमति को Verify कराना हो, या कह लीजिये की यह पुष्टि करनी हो की यह डॉक्यूमेंट सही है, और आपका है, तो ऐसे में आपको डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करना पड़ता है.

यह एक सुरक्षित डिजिटल कुंजी(Secure Digital Key होती है, जिसमे आप से जुडी जानकारी उपलब्ध रहती है, जैसे की आप का **नाम, पता, जन्मतिथि, आधार कार्ड और पैन कार्ड** इत्यादि की जानकारी रहती है, और अगर डिजिटल हस्ताक्षर संस्था के लिए बनवाया गया है, तो उसमे आपकी और आपके संस्था की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है.

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने हेतु आवश्यक :

आज के समय में लगभग हर सरकारी काम काज ऑनलाइन हो गया है, और किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों में हमें अपना वेरिफिकेशन ही कराना पड़ता है, जिससे मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है .

डिजिटल हस्ताक्षर को एक (सर्टिफाइड अथॉरिटी Certified Authority एक प्रकार से Service Provider Company होती है, जिसे डिजिटल सिग्नेचर देने, रिन्यू करने या वापस लेने का लाइसेंस प्राप्त होता है .

डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए आपको अपने कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट जैसे : आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही आपको इसका एक तय शुल्क(Fee भी देना पड़ता है .

DSC प्राप्त करने के लिए मुख्यत: लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग एजेंसियां अथवा लोकल मार्केट वेंडर हो सकते है, जिनके जरिये डिजिटल सिग्नेचर लिए जा सकते हैं।

ई-मुद्रा – emudhra.com

सिफी – safescrypt.com

एनकोड – ncodesolutions.com

तीनों में से किसी भी एक एजेंसी अथवा लोकल मार्केट वेंडर से आप अपना या अपनी कंपनी/संस्था का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर DSC प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग एजेंसियों की अपनी-अपनी लाइसेंस्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी होती हैं। वहां से भी आप डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या तो आप सीधे ई-मुद्रा, सिफी जैसी लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग एजेंसियों से डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं या myesign.in, digitalsignatureindia.com, digitalsignature.in जैसी उनकी सर्टिफाइंग एजेंसियों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।

डिजिटल हस्ताक्षर को उपयोग करने की एक तय समय सीमा होती है, जो आम तौर पर 2 या 3 साल की होती है, जिसके बाद आपको इसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है.